

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ २११२-१५

दिनांक :- 16.07.17

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या11/2014-15

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.13 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.13 में दिये गये निर्देशों तथा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के पत्रांक प.1(21)संस्था/आब./नि.दल/2013/199 दिनांक 15.04.2013 के क्रम में विभाग की अनुशंषा पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में आबकारी विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. स.	केडर स्ट्रेन्थ में अंकित कार्यालय का नाम, स्थान एवं पद	कार्यालय का संशोधित नाम, स्थान एवं पद
1.	EXCISE OFFICER PREVENTIVE FORCE, SRIGANGANAGAR, S. GANGANAGAR (Accountant-01)	EXCISE OFFICER PREVENTIVE FORCE, BIKANER, BIKANER (Accountant-01)

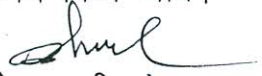

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ २११२-१५

दिनांक :- 16.07.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर।
3. आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन श्रीगंगानगर/ बीकानेर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
6. पदस्थापन सहायक अलेसे- II विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)